संख्या-841(III)/नौ-8-10-33ज/2005

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।	4-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।	5-निदेशक, सी एण्ड डीएस (जल निगम), लखनऊ।
3-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।	

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांकः 11 अगस्त, 2010

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन संस्थाओं/निकायों में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नामांकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-319सू.अ./9-8-06-33ज/05, दिनांक 18 जनवरी, 2007 तथा शासनादेश संख्या-132सू./9-8-08-33ज/05, दिनांक 26 फरवरी, 2008 व शासनादेश संख्या-674/9-8-08-33ज/05, दिनांक 28 मई, 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन संस्थाओं में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किये गये हैं।

2- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश की 630 नागर निकायों से संबंधित जनसामान्य से अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिनका समय से निस्तारण किया जा रहा है, फिर भी निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0/जनसूचना अधिकारी के स्तर से आवेदकों को सूचना प्रेषित करने में विलम्ब हो जाने के फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपीलें शासन स्तर पर प्राप्त हो रही हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्थाओं के अनुसार अपलार्थियों को शासन में बुलाया जाता है एवं अपीलार्थियों को सचिवालय में प्रवेश करने में व्यवहारिक कठिनाईयां होती है। अतः तात्कालिक प्रभाव से पूर्व व्यवस्था के स्थान पर निम्नवत् व्यवस्था की जाती है :-

2/-

1- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रकरणों के निस्तारण के लिये अधिनियम की धारा-5(1) के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर निदेशक के अधीनस्थ कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी को जनसूचना अधिकारी तथा उनके आदेशों के विरूद्ध अधिनियम की धारा-19(1) के अधीन विभागाध्यक्ष/निदेशक को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

2- नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के संबंध में संबधित जिले के अपर जिलाधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

3- नगर निगमों में नगर आयुक्त प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अपर नगर आयुक्त जनसूचना अधिकारी व सहायक नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल को सहायक जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

4- जल निगम में प्रबन्ध निदेशक, व सी एण्ड डीएस में निदेशक प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यालय प्रमुखों को जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

अतः कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, मा. राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।
3- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, नगर विकास विभाग।
4- समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें, उ0प्र0।
6- प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
7- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग, सूडा एवं गंगासेल।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ध्रुव कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।